

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि०न०	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/52/2023	2023/307	04.04.2023	10.06.2024
1.सोहनलाल पुत्र दामोदर, जाति जाट, निवासी नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर राज०			

---अपीलान्ट

बनाम

1.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर (राज०)।

---रेस्पोडेन्ट

राजस्व प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व 1956 विरुद्ध निर्णय न्यायालय नायब तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज० दिनांक 24.01.2023 प्रकरण संख्या 63/2022 जिसके द्वारा विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश पारित किए गए।


उपस्थित:-

01. श्री अजीत कुमार यादव
02. राजकीय अभिभाषक

-वकील अपीलान्ट
-वकील रेस्पोडेन्ट

---: निर्णय :-

अपीलान्ट ने यह अपील तहसीलदार लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 24.01.2023 प्रकरण संख्या 63/2022 जिसके द्वारा विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर अपीलान्ट को अतिक्रमी मानकर बेदखल किये जाने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश पारित किए जाने से व्यथित होकर पेश की है। अपील में वर्णित तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं कि पटवारी हल्का गोठडा तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की गैर सायल अपीलान्टान के द्वारा वाके ग्राम नारनौल, खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर की आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 0.2276 किस्म गैर मुमकिन नाला में से 0.10 रकबे पर सम्बत 2079 में रबी की फसल सरसो की फसल बोकुर अतिक्रमण कर लिया है। जिस पर तहत अदालत मे प्रकरण संख्या 63/2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत दर्ज किया गया। और उक्त प्रकरण का आलोच्य निर्णय दिनांक 24.01.2023 से निस्तारण किया जाकर अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर बेदखल करने व अर्थदण्ड से दण्डित कर अहकाम जारी करने के आदेश विधि विरुद्ध व बेजा तरीक पर पारित किए गए है। कि जिस निर्णय से असन्तुष्ट होने के कारण यह अपील पेश की जा रही है।


अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

विवादित वाके ग्राम नारनौल खुर्द तहसील लक्ष्मणगढ, जिला अलवर की आराजी आराजी खसरा नम्बर 410 रकबा 0.2276 किस्म गैर मुमकिन नाला में से 0.10 रकबे पर सम्बत 2079 में रबी की फसल सरसो की फसल नहीं बोई गई है बल्कि मौके पर कोई सरकारी नाला नहीं है। खसरा नम्बर 411 करीब 40 साल, से जब सभी हिस्सेदार संयुक्त रूप से कास्त करते थे उसी स्थिति में मौके पर खेत है, हमने करीब 4-5 साल पहले घरू बटवारा कर खेतो को बटा लिया है, पहले जिस हालत में खेत था उसी हालत में अब मौके पर है जिसे मैं बो रहा हूँ इसमें मौके पर मैंने कोई तोड़ नहीं की है इस खेत खसरा नं0 411 के तरफ पूर्व में काफी ऊची व चौड़ी डोल है वो अगर सरकार भूमि में हो तो प्रार्थी का उस से कोई लेना देना नहीं है, वो डोल भी काफी पुरानी है। मौके पर ना तो कोई आगे नाला है ना ही पीछे कोई नाला है। पटवारी हल्का ने गलत रूप से 0.10 है0 गैर मुमकिन नाले की जमीन पर अतिक्रमण की रिपोर्ट की है जबकी मौके पर कोई नाला नहीं है, पहले भी नोटिस सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर दिया गया है, जिसका पूर्व में विस्तृत जवाब दिया गया था। और मौके की वास्तविक रिपोर्ट आने पर ही वास्तविक वस्तुस्थिति का पता चले मौके मौके पर कोई आगे पीछे नाला नहीं है। प्रार्थी के विरुद्ध पटवारी हल्का द्वारा गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का ने गलत रिपोर्ट गैर मुमकिन नाला की 0.10 है0 जमीन पर अतिक्रमण बताकर पेश की है जबकि मौके पर ना तो उबड़ खाबड़ जमीन है ना नाला है ना हमने सूरत संभाली है तबसे कोई नाला देखा है। अगर कोई सरकारी भूमि भी है तो वह करीब 100 साल से आस पडोस के सभी खेतो में मिली हुई है जिससे 30 साल, से अधिक कब्जा होने के कारण वेदखली की मियाद भी निकल चुकी है। लेकिन प्रार्थी के नाम रेगुलाईज करने की रिफारिस की जावे और अपीलान्ट का हिस्सा अलग है लेकिन वह नाला का भाग नहीं है। जिस बाबत अपीलान्ट के द्वारा दुरुस्त व नक्शा दुरुस्त का दावा श्रीमान उप जिलाधीश महोदय लक्ष्मणगढ का यहा प्रस्तुत किया हुआ है जिस पर अपीलान्ट अपने पूर्वजो के समय से काबिज होकर काशत करता चला आ रहा है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट कोई अतिक्रमण नहीं है। पटवारी हल्का ने मौके के खिलाफ बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, व बिना मौका निरीक्षण किये, अपीलान्ट के विरुद्ध गलत तथ्यो के आधार पर धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत रिपोर्ट अदालत में पेश की है। जिस पर तहत अदालत द्वारा बिना जॉच किए व बिना मौका निरीक्षण किये, जो गलत एवं मौके के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है।

तहत अदालत द्वारा मिन अपीलान्ट को मौके की स्थित एवं विधि विरुद्ध नोटिस जारी किया गया। मिन अपीलान्ट ने किसी सरकारी भूमि गैर मुमकिन नाला पर नाजायज कब्जा अथवा अतिक्रमण नहीं किया है, बल्कि अपीलान्टान के द्वारा अपने बुजुर्गो के समय से ही चली आ रही अपने हिस्से की भूमि पर काशत करता चला आ रहा है जिस बाबत अपीलान्ट के द्वारा तहत अदालत के समक्ष अपना विस्तृत जवाब भी दिनांक 20.12.2022 को अधिनस्थ अदालत में उपस्थित होकर प्रस्तुत किया जो जवाब तहत अदालत की पत्रावली में संलग्न है लेकिन उसके बावजूद तहत अदालत के द्वारा जवाब को रिकॉर्ड पर नहीं लिया तथा ना ही अदालत ने कोई सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया तथा ना ही

अतिरिक्त जिला कलेक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

तहत अदालत के द्वारा हल्का पटवारी के बयान दर्ज कर घटना की ताईद की और अपीलान्टान की गैर मौजूदगी में अपीलान्टान की जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद अपीलान्टान को बहस का अवसर नहीं दिया जाकर सीधा आदेश कर दिया और पटवारी हल्का की बिना पेमाईश खिलाफ मौका रिपोर्ट के आधार पर बिना हल्का पटवारी के बयान दर्ज कर घटना की ताईद कर बिना कोई मौका निरीक्षण किये आलौच्य निर्णय अपीलान्टान की गैर मौजूदगी में अपीलान्टान की जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद अपीलान्टान को बहस का अवसर नहीं दिया जाकर सीधा आदेश पारित किया है।

उक्त विवादित आराजी पर मिन अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया हुआ है, तथा तहत अदालत ने मिन अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब नोटिस पर कोई गौर नहीं किया। और जवाब से संतुष्ट ने होने का कोई युक्तियुक्त कारण आलौच्य निर्णय में अंकित नहीं किया गया है। तथा अपीलान्टान के द्वारा जवाब प्रस्तुत करने के बावजूद अपीलान्टान की गैर मौजूदगी में अपीलान्टान को बहस का अवसर नहीं दिया जाकर सीधा आदेश कर दिया गया तथा अपीलान्ट को अपील ओर से गवाह पेश करने का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है तथा रेस्पोजेण्ट ने भी अपनी ओर से हल्का पटवारी के बयान दर्ज नहीं करवाये रेस्पोजेण्ट के द्वारा बयान दर्ज नहीं करने से घटना प्रमाणित नहीं हो सकती कानून का सुस्थापित सिद्धान्त है। तथा अपीलान्ट की बहस सुने बिना ही उक्त निर्णय पारित कर दिया। इसलिए अपीलान्टान निर्णय तहत अदालत अपास्त किये जाने योग्य है। जब रेस्पोजेण्ट के द्वारा अधिनस्थ अदालत में अपना कोई बयान ही पेश नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में न्याय के सुस्थापित सिद्धान्तों के अनुसार रेस्पोजेण्ट के द्वारा प्रकरण को साबित ही नहीं किया गया जिससे रेस्पोजेण्टान के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अपीलान्टान के खिलाफ किसी प्रकार का कोई आदेश पारित ही नहीं किया जा सकता और रेस्पोजेण्ट के द्वारा प्रस्तुत प्रकरण साक्ष्य के अभाव में खारिज किया जाना न्याय हित में आवश्यक था। मिन अपीलान्ट ने कोई अतिक्रमण नहीं किया है। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मिन अपीलान्ट के विरुद्ध अपीलान्टान की गैर मौजूदगी में निर्णय किया जाकर बेदखली की कार्यवाही अमल में लायी गई है, जबकि विधि शास्त्र का यह सिद्धान्त है, कि प्रभावित पक्षकारो को सुनकर निर्णय पारित करना चाहिए। जबकि इस प्रकरण में मिन अपीलान्ट को नहीं सुना गया। ना साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा तहत अदालत के समक्ष बिना तथ्यो पर गौर किये, बिना रिकॉर्ड देखे, बिना पेमाईश किये, मौका रिपोर्ट तैयार कर तहत अदालत के समक्ष पेश की गई है। जो केवल मात्र मिन अपीलान्ट को हैरान, तंग व परेशान करने की नियत से पेश की गई है। जिसका वास्तविकता से कोई सम्बन्ध व सरोकार नहीं है। तहत अदालत द्वारा पटवारी हल्का की मिथ्या एवं खिलाफ मौका गलत तथ्यो के आधार पर प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किये, मिन अपीलान्ट के खिलाफ नोटिस जारी किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पूरी तरह भ्रामक एवं आधारहीन है।


जातिरका जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज०)

मिन अपीलान्ट बुजुर्गान के समय से आराजी पर काविज होकर काशत कर रहे है। मिन अपीलान्ट का कब्जा जायज है, नाजायज कब्जा अथवा अतिक्रमण की तारीफ में नहीं आता है। तहसीलदार साहब ने ना तो मौके का निरीक्षण ही किया, और ना ही अपीलान्ट का साक्ष्य सबूत पेश करने का अवसर ही दिया, और विना समुचित सुनवाई किए, अपीलान्ट के विरुद्ध निर्णय पारित किया है। निर्णय जेर बहस अपील प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के खिलाफ होने के कारण निरस्त होने योग्य है। मिन अपीलान्ट निर्णय के दिन तहत अदालत में उपस्थित नहीं था। निर्णय तहत अदालत विधि विरुद्ध तथा तथ्यों के विपरीत एवं नियम व प्रकिया के खिलाफ होने के कारण निरस्तनीय है। हल्का पटवारी गोठडा के द्वारा तहत अदालत में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। जिसमें अपीलान्ट की तामील उपरांत अपीलान्ट के द्वारा गलत नोटिस का विस्तृत जवाब भी पेश कर हत अदालत से निवेदन किया था उसके बावजूद तहत अदालत के द्वारा अपीलान्ट के प्रस्तुत जवाब पर गौर नहीं किया और अपीलान्ट को साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया, और बेजा तौर पर अतिक्रमी मानते हुए अपीलान्ट को उक्त आराजी से बेदखल कर अर्थदण्ड व सजा से दण्डित किया है तथा अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश करने के बावजूद आदेशिका दिनांक 20.12.2022 में अपीलान्ट के द्वारा जवाब पेश होना दर्ज नहीं किया जाकर पत्रावली बिना किसी साक्ष्य के सीधे रूप से आदेश हेतु दर्ज किया है, जो अविधिक है तथा प्रकरण में रैस्पोंडेन्ट के द्वारा किसी प्रकार का बयान नहीं पेश करने के बावजूद मनमाने तरीके से दिनांक 24.01.2023 को उक्त अविधिक निर्णय पारित किया है तथा उक्त समस्त आदेशिका भी तहत अदालत के द्वारा मनमाने तरीके से निर्णय दिनांक को ही तैयार कर लिखी गई, जिससे तहत अदालत का निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। तहत अदालत में अपीलान्धीन निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्ष्य प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त व राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत निष्कर्ष निकालते हुये, पारित किया है।

अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर तहत अदालत तहसीलदार लक्ष्मणगढ, जिला अलवर राज0 का निर्णय दिनांक 24.01.2023 बसिलसिले प्रकरण संख्या 63/2022 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलान्ट की नोटिस के भार से मुक्त फरमाया जावें। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोंड को जरिये नोटिस तलब किया गया। रैस्पोंडेन्ट्स जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित। तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। रैस्पोंडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। सीधे ही बहस करना चाहता है।

वकील उभयपक्ष की विस्तृत बहस सुनी गई।

पत्रावली में संलग्न समस्त दस्तावेजात का अवलोकन एवं वकील उभयपक्ष की बहस के बिन्दुओं पर चिन्तन-मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का भी अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का गोठडा की रिपोर्ट दिनांक

अतिरिक्त जिला क्लर्क (द्वितीय)
अलवर (राज0)

21.11.2022 के अनुसार अपीलान्त को विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नाला में रबी की फसल सरसों काश्त कर अतिक्रमी होना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अतिक्रमी/अपीलान्त को विधिवत तामील हुआ नोटिस संलग्न है। न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार लक्ष्मणगढ से चाही गई मौका रिपोर्ट दिनांक 01.06.2023 प्राप्त हुई जिसमें पटवारी हल्का गोठडा ने उक्त विवादित आराजी किस्म गैर मुमकिन नाला में अतिक्रमी/अपीलान्त द्वारा सरसों की फसल काश्त कर अतिक्रमण किया हुआ था जिसकी धारा 91 के तहत अतिक्रमण की रिपोर्ट कर नीलामी प्रक्रिया पूर्ण कर फर्द नीलामी तहसील कार्यालय में पेश की जा चुकी है। मौका पर्चा फसल जब्ती दिनांक 09.01.2023 के अनुसार अतिक्रमी द्वारा बोई गई फसल को कब्जे राज लिया गया एवं मौके पर ऐलान किया गया कि बोई फसल को खुर्द-बुर्द न किया जाए। फर्द नीलामी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2023 के अनुसार जब्त की गई फसल की नीलामी की जाकर नीलामी राशि प्राप्त की गई। विवादित भूमि किस्म गैर मुमकिन नाला है। अपीलान्त द्वारा अतिक्रमण किया जाना सिद्ध होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में विधिवत सुनवाई की जाकर निर्णय दिनांक 24.01.2023 पारित किया गया है। जो उचित है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपील अपीलान्त सारहीन होने से अस्वीकार किए जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्त सारहीन होने से अस्वीकार की जाती है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ अदालत को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पी0 आर0 मीना)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (द्वितीय)
अलवर (राज0)

